



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 25/1997

पुतली गौड़ीन।

वनाम

सावित्री गौड़ीन एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह वाद पुतली गौड़ीन, पति- वोनू गौड़, निवासी ग्राम- नरसिंहपुर, पो०+थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा दिनांक- 17.08.1997 को Suit for declaration of plaintiffs right title and interest over the suit lands described in schedule-B below after holding the sale deed no. 2268 dated 04.09.1993 के एवज में मूल प्रतिवादी सावित्री गौड़ीन एवं 3 अन्य, ग्राम- नरसिंहपुर, पो०+थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध यह दिवानी वाद दायर किया गया है। दिनांक- 02.08.2018 से वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता की ओर से कोई पैरवी नहीं करने के कारण पुनः इस न्यायालय के पत्रांक- 52/न्या० दिनांक- 01.11.2021 द्वारा अंतिम मौका देते हुए नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि- 18.12.2021 को भी दोनों पक्ष या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> 20.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: center;"> 20.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	